



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180193

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30188 वर्ष 2026

भूपेंद्र सिंह सैनी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : पवन गिरी, शमशेर सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र सिंह यादव ने अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शमशेर सिंह, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र सिंह यादव तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री इमरान खान को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0462 सन् 2026, धारा 103(1), 191(2), 191(3), 190 एवं 109(1) बी.एन.एस., थाना मझोला, जनपद मुरादाबाद में, विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में कई अन्य व्यक्तियों के साथ नामजद किया गया है, किंतु उसके विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः झूठे हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है और शव-परीक्षण रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मृतक को केवल एक चोट आई थी तथा इसलिए यह तथ्य भी अत्यधिक आरोपण का मामला होने का संकेत देता है।
6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि समस्त तथ्यों पर विस्तारपूर्वक विचार करने के पश्चात भी सह-अभियुक्त मनोज कुमार शर्मा को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 28707 सन् 2026 में पारित दिनांक 17.08.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है।
7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, किंतु वह मामला मामूली अपराध से संबंधित है।
8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 18.05.2026 से, अर्थात् तीन माह से अधिक समय से जेल में है।
9. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने यद्यपि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्क का खंडन नहीं कर सके।
10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।
11. तथापि, आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है, किंतु यह परिलक्षित होता है कि आवेदक के साथ कई अन्य अभियुक्तों को भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है और उन सभी को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है।
12. आगे, शव-परीक्षण रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मृतक को केवल एक चोट आई थी और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक उस चोट का कारितकर्ता था।
13. आगे, सह-अभियुक्त मनोज कुमार शर्मा को भी इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. आगे, यद्यपि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, किंतु वह मामला मामूली अपराध से संबंधित है।

15. आगे, आवेदक वर्तमान मामले में दिनांक 18.05.2026 से, अर्थात लगभग साढ़े तीन माह से जेल में है।

16. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

17. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

18. आवेदक-**भूपेंद्र सिंह सैनी** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

19. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

20. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31 अगस्त, 2026

एस.के.एम.

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।